संख्या- 6 /2019/ 1910/ 46-2-2018-83/2016

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 5 फरवरी 2019**

विषय:- चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/ रियायतों हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-148 /नीति-2013/ 2018 दिनांक 20.09.2018, जिसके माध्यम से चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत इकाईयों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने की संस्तुति की गई है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी, उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं.-24 में स्वीकृत रू.25.00 करोड़ (रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से मुख्य सचिव उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 13.9.2018 को हुई बैठक में 08 कम्पनियों/ इकाइयों को शासनादेश सं.-2019/2420/46-2-18-83/2016 दिनांक 10.01.2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अंकन रू.12,56,93,155.77 अर्थात रू.12,56,93,156.00 (रूपया बारह करोड़ छप्पन लाख तिरान्वे हजार एक सौ छप्पन मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुख्य सचिव उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 23.10.2018 को हुई बैठक में 04 कम्पनियों/ इकाइयों यथा- डी.एस.सी.एल. ग्रुप की इकाई अजबापुर, जिला-लखीमपुर खीरी को कोजनरेशन (ब्याज प्रतिपूर्ति) मद में रू.68,05,479.00, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. मोहिउददीनपुर जिला-मेरठ को कोजनरेशन एवं क्षमता विस्तार (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.1,39,66,759.00, शीरे पर प्रशासनिक शुल्क मद में रू.2,07,889.00 तथा सोसायटी कमीशन के मद में रू.16,47,839.00 कुल रू.1,58,22,487.00, सहकारी चीनी मिल्स लि. स्नेहरोड, नजीबावाद, जिला बिजनौर को आसवनी (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.15,28,424.00 व रू.45,85,273.00 तथा शीरे पर प्रशासनिक शुल्क मद में रू.2,19,879.00 कुल रू.63,33,576.00 एवं दि सक्सेरिया बिसवॉ शुगर फैक्ट्री लि. सीतापुर को कोजनरेशन (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.1,60,39,726.00, रू.1,79,68,159.00, रू.79,20,548.00, रू.39,80,537.00 तथा भूमि रजिस्ट्री शुल्क के मद में रू.78,47,270.00 कुल रू.5,37,56,240.00 कुल योग अंकन रू.8,27,17,782.00 (रूपया आठ करोड़ सत्ताईस लाख सत्रह हजार सात सौ बयासी मात्र) के भुगतान की संस्तुति की गई है।

3. अतः मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित् "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 23.10.2018 को हुई बैठक में लिये गए निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार 04 कम्पनियों/ इकाइयों यथा- **डी.एस.सी.एल. ग्रुप की इकाई अजबापुर**, जिला-लखीमपुर खीरी को कोजनरेशन (ब्याज प्रतिपूर्ति) मद में **रू.68,05,479.00**, **उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. मोहिउददीनपुर** जिला-मेरठ को कोजनरेशन (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.1,39,66759.00, शीरे पर प्रशासनिक शुल्क मद में रू.2,07,889.00 तथा सोसायटी कमीशन के मद में रू.16,47,839.00 **कुल रू.1,58,22,487.00**, **सहकारी चीनी मिल्स लि. स्नेहरोड**, नजीबावाद, जिला बिजनौर को आसवनी (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.15,28,424.00 व रू.45,85,273.00 तथा शीरे पर प्रशासनिक शुल्क मद में रू.2,19,879.00 **कुल रू.63,33,576.00** एवं **दि सक्सेरिया बिसवॉ शुगर फैक्ट्री लि**. सीतापुर को कोजनरेशन (ब्याज प्रतिपूर्ति) के मद में रू.1,60,39,726.00, रू.1,79,68,159.00, रू.79,20,548.00, रू.39,80,537.00 तथा भूमि रजिस्ट्री शुल्क के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मद में रू.78,47,270.00 **कुल रू.5,37,56,240.00 कुल योग अंकन रू.8,27,17,782.00 (रूपया आठ करोड़ सत्ताईस लाख सत्रह हजार सात सौ बयासी मात्र)** प्रतिपूर्ति की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय उपरोक्त छूट/ रियायतों हेतु तत्काल उपलब्ध करायें।

3. उक्त धनराशि उसी कार्य के लिये व्यय की जायेगी जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

4. चीनी आयुक्त उक्त आहरण की सूचना उपमहालेखाकार(राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज (इलाहाबाद) को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर, संख्या, तिथि, लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

5. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन तथा महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसा भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय-व्ययक की अनुदान सं.-24 के लेखाशीर्षक-2852-उद्योग,08-उपभोक्ता उद्योग, 201-चीनी-08-चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतें-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं.-1/2018 बी-1-375 /दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-6 /2019 /1910 (1)/ 46-2-2018-83/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
4- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in